ज्ञापांक 6/सा0सु0सू0आ0 323/08 श्र0नि0
झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(सामाजिक सुरक्षा)

प्रेषक,

लखन उराँव,
सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य सूचना आयोग
अभियत्रंण छात्रावास संख्या-2
एच0ई0सी0 परिसर, धुर्वा, राँची ।

राँची, दिनांक

विषयः— सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग के बैठक हेतु प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव--सह जन सूचना पदाधिकारी श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 276 दिनांक 13.03.2009 के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग द्वारा 10 बिन्दुओं पर समीक्षा हेतु प्रतिवेदन कंडिकावार संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजा जा रहा है ।

अनुलग्नक— यथोपरि

विश्वासभाजन

ह0/—
(लखन उराँव)
सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 6/सा0सु0सू0आ0 323/08 श्र0नि0 168 राँची, दिनांक 27.3.2009

प्रतिलिपिः— अवर सचिव—सह—जन सूचना पदाधिकारी, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 276 दिनांक 13.03.2009 के कम में अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27/3/09

(लखन उराँव)
सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा झारखण्ड, राँची।

सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखण्ड, राँची का कंडिकावार प्रतिवेदनः–

1	**अभिलेखों का रख–रखाव, सूचीकरण एवं कम्पयूटरीकरण सेक्सन 4(1) ए0**	सभी अभिलेख समेकित रूप से सूचीवद्ध और अनुक्रमणिकाबद्ध है । बजट आवंटन आदि अभिलेख कम्पयूटरीकृत किया गया है।
2	**सतरह बिन्दुओं पर अनुपालन सेक्सन 4(1) बी0**	विभाग के अधीन निदेशालय से 17 बिन्दुओं में संबंधित हस्तपुस्तिका संलग्न है।
3	**Suo moto सूचना सेक्सन 4(2)**	विभाग से संबंधित आवश्यक सूचनाएँ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र वेबसाइट www.Jharkhand.gov&www.Jharkhand.nic में प्रदशिति किया गया है ।
4	**जनसूचना पदाधिकारी, सहायक जनसूचना पदाधिकारी का अधिसूचना तथा पता एवं दूरभाष संख्या एवं विस्तृत प्रचार सेक्सन 5(1)**	प्रथम अपीलीय प्रधिकार एवं जन सूचना पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है।
5	**वरीय पदाधिकारी का प्रथम अपीलीय प्रधिकार में नियुक्ति सेक्सन 19(1)**	विभाग के अधीन निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वरीय पदाधिकारियों को प्रथम अपीलीय प्रधिकार घोषित किया गया है ।
6	**प्रथम अपीलीय प्रधिकार के समक्ष अपील एवं पारित आदेश की स्थिति**	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के स्तर पर कोई अपील प्राप्त नहीं हुआ है ।
7	**राज्य सूचना आयोग को मासिक प्रतिवेदन का धारा 25 (3) के अधीन**	मासिक प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है। अध्यतन प्रतिवेदन संलग्न है ।
8	**सूचना अधिकार अधिनियम का लाभ पँहुचाने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन धारा 26 (1) ए0**	कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार का कार्य सहारा इण्डिया के माध्यम से किया गया है। आकाशवाणी के माध्यम से भी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया है।
9	**जन सूचना पदाधिकारी का प्रशिक्षण धारा 26 (1) डी0**	राज्य सूचना आयोग/प्रिय द्वारा आयोजित जन सूचना पदाधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्रधिकार ने दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया गया है। समय–समय पर सरकार के मार्ग निदेश से अवगत कराया गया है। विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान से अनुरोध किया गया है ।
10	**18 माह के अन्दर विस्तृत मार्ग निदेश तैयार करने की दिशा में की गयी कार्रवाई धारा 26 (2)**	महत्वपूर्ण अभिलेखों, स्वीकृत्यादेश आवंटन, संकल्पों आदि का कम्पयूटरीकरण का कार्य किया गया है ।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, नेपाल हाउस डोरण्डा, राँची

सूचना का अधिकार अधिनियम, खण्ड के अन्तर्गत हस्तपुस्तिका

अध्याय I

1.1 भारतीय गणतंत्र द्वारा अधिनियमित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 की संख्या–22) की धारा के अनुसरण में सा0सु0निदेशालय को दायित्वों, कर्त्तव्यों तथा कियाकलापों की सुलभ कराने क लिए यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई है:–

1.2 **लक्ष्य:** सा0सु0निदेशालय के कियाकलापों को जानकारी को सुलभ बनाना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार स्वत: स्फूत या श्रोतों के माध्यम से इस विभाग के किया कलापों के संबंध में अधिकतम जानकारी मुहैया कराना है

1.3 अधिक जानकारी हेतु श्रम, नियोजन एवं प्रशक्षिण विभाग, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के संबंध में अधोलिखित पते पर श्री लखन उराँव, सहायक निदेशक, सह जन सूचना पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

नाम – श्री लखन उराँव,
पदनाम– सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, (मु0)
कार्यालय का नाम– श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।
दूरभाष सं0– 0651–2491341
फैक्स सं0– 0651–2491341

अध्याय II

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (सामाजिक सुरक्षा) का संगठन, कर्तव्य एवं कार्यो का विवरण:–

2.1 **संगठन**

सामाजिक सुरक्षा का संगठित ढांचा निम्न प्रकार है

(अ) सामाजिक सुरक्षा निदेशालय

|

निदेशक

|

संयुक्त निदेशक

|

उप निदेशक

|

सहायक निदेशक

|

प्रशाखा पदाधिकारी

|

सहायक

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को आवंटित कार्यो/उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए सामाजिक सुरक्षा, निदेशालय के अधीन प्रशाखा में आवंटित कार्यों में से प्रत्येक सहायक को कार्य आवंटित है, जो प्रशाखा पदाधिकारी के देख–रेख में आपेक्षित कार्रवाई के लिए संचिका समीक्षी पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हैं। प्रशाखा के लिए समीक्षक के रूप में निदेशालय प्रधान के रूप में निदेशक अपने स्तर से या सरकार के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों के संबंध में सरकार के सचिव के माध्यम से मंत्री का आदेश प्राप्त कर निर्णय अभिलिखित करते है।

सचिवालीय कार्यो के सम्पादन के लिए निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों की भी सहायता ली जाती है।

यथा– (1) विपत्र लिपिक–सह–रोकड़पाल
(2) दिनचर्या लिपिक
(3) अनुसेवक/आदेशपाल

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन प्रत्येक जिलों में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यरत है।

2.2 **श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक सुरक्षा, मुख्यालय के कार्यो एवं कर्त्तव्य का विवरणः–**

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय का प्रमुख दायित्व है कि राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित कार्यकमों का कार्यान्वयन उपायुक्त, अनुमण्डल पदाधिकरी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाय। ग्राम–सभा के माध्यम से बी0पी0एल0 पेंशनधारियों तथा लाभुकों के चयन एवं पेंशन वितरण कार्यकम में सहयोग प्राप्त किया जाता है।

2.3 **कार्यालय**–सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची।

2.4 **कार्यालय की कार्य अवधि–**

प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में–

(क) 1 ली नवम्बर से 28/29 फरवरी तक 10:30 बजे पूर्वाहन से 5:00 बजे अपराहन तक।

(ख) 1ली मार्च से 31वी अक्टूबर तक 10:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 बजे अपराहन तक।

(ग) प्रत्येक कार्य दिवस में 1:30 बजे अपराहन से 3:30 बजे अपराहन तक पदाधिकारियों/कर्मचारी की सुविधानुसार 1/2 घंटा (तीस मिनट) का भोजनावकाश रहता है।

<u>अध्याय III</u>

पर्यवेक्षण एवं उत्तदायित्व के निर्वहन सहित निर्णय तय करने में अपनायी जाने वाली प्रकियाऐंः–

विभिन्न अधिनियमों के अधीन भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों के अन्तर्गत निर्णय निर्धारित करने की प्रकिया सहायक के स्तर पर आरंभ होती है जिसको प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक के माध्यम से समीक्षोपरांत निदेशक/सरकार के सचिव से आदेश प्राप्त कर निर्णय के अनुपालन की अग्रेतर कारवाई की जाती है।

नीति विषयक एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलो में विभागीय सचिव के माध्यम से सरकार (विभागीय मंत्री/मुख्य मंत्री) से आदेश प्राप्त किया जाता है तथा मंत्री परिषद् से भी जहाँ सहमति आवश्यक है, संलेख तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

अध्याय IV

झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2003 द्वारा आवंटित कार्य के सम्पादन की पूरी जिम्मेवारी निदेशालय की है। कार्य का सम्पादन/निष्पादन के कम में प्रारंभिक स्तर पर संचिकाओं का उपस्थापन सहायको की जिम्मेवारी है। निर्णय के लिए उपस्थापित सभी पत्रों/अभ्यावेदनों के निष्पादन के लिए समीक्षी पदाधिकारियों के माध्यम से निदेशक तथा जहाँ आवश्यक हो सरकार के सचिव का आदेश प्राप्त किया जाता है।

अध्याय V

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन एवं उनके नियंत्रण में कार्यरत है जिसमें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वियन उपायुक्त, अनुमण्डल पदाधिकरी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के माध्यम से सम्पादित किया जाता है। ग्राम सभा के माध्यम से बी0पी0एल0 पेंशनधारियों तथा लाभुकों के चयन एवं पेंशन वितरण कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम की संक्षिप्त विवरणी

1. **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : —**

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमान्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दिनांक 19.11.2007 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में परिवर्तित हो गई है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के वैसे महिला/पुरूष जिन्होनें 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर ली है, उन्हें 400.00 रूपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

इस योजना अर्न्तगत 6,43,003 पेंशनधारियों को पेंशन लाभ मिल रहा है।

2. **राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : —**

इस योजनान्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध तथा विधवा, अपंग, एवं विमुक्त बंधुआ मजदूरों को जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 5000/– एवं शहरी क्षेत्र में रूपये 5500 से अधिक नहीं हो, को इस योजनान्तर्गत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति रूपये 400.00 की दर से भुगतान किया जाता है। वर्त्तमान में इस योजनान्तर्गत पेंशनधारियों की कुल संख्या 2,31,671 है।

3. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना : –**

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 18 से 64 वर्ष के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार के मुख्य अर्जनकर्त्ता पुरूष/महिला की मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित को इस योजनान्तर्गत एक मुश्त 10,000.00 (दस हजार) रूपये भुगतान किया जाता है।

4. **बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास : –**

केन्द्र प्रायोजित बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजनान्तर्गत प्रत्येक विमुक्त बंधुआ–मजदूर का पुनर्वास कुल रूपये 20,000/–(बीस हजार रूपये) मात्र के व्यय पर किया जाता है, जिसका वहन राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाता है।

5. **आम आदमी बीमा योजना : –**

केन्द्र प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना राज्य में वर्ष 2008–09 से लागू किया गया है। बीमित व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु/अंग–भंग में 75,000 रूपये तथा एक अंग भंग में 37500.00 रूपये बीमा राशि देय है। इस योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति के अधिकतम 2 पुत्र/पुत्री जो वर्ग 9 से 12 में पढ़ रहे हो, को प्रति बच्चे 100.00 रूपये प्रतिमाह के दर से छात्रवृत्ति का भी भुगतान किया जायेगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से ग्रामीण भूमिहीन बीमा परिवारों के 18 से 59 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है। 22100 ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का चयन इस योजना के अन्तर्गत किया गया है। जिन्हें बीमित करने का कार्रवाई किया जा रहा है।

6. **वस्त्र वितरण कार्यकम :–**

अत्यन्त निर्धन वृद्ध/वृद्धा तथा अपाहिज व्यक्तियों के बीच वस्त्र वितरण हेतु वर्ष 2008–09 में 200.00 लाख रूपये के बजट प्रावधान के विरूद्ध कंबल का कय जिला स्तर पर किया गया है तथा कंबल वितरण किया गया है ।

7. **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईवजी0एन0डब्ल्यू0पी0एस0 एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आई0जी0एन0डी0पी0एस0)**

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम (एनएसएपी) के विस्तार हेतु इसके अन्तर्गत समाज के अन्य कमजोर सामाजिक वर्गो को शामिल करने के लिए दो नई पेंशन योजनाओं की शुरूआत की गई है । यह वर्त्तमान में चल रही "इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना" के अतिरिक्त है :–

क. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना(आई0जी0एन0डब्ल्यू0पी0एस0)

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ 40 वर्ष से 64 वर्ष के अन्दर ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा सूची 2002 में शामिल विधवा को भारत सरकार द्वारा 200/–(दो सौ) रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जायगा। राज्य सरकार द्वारा शेष 200/– (दो सौ) रूपया आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। पेंशन की अहर्त्ता रखनेवाले व्यक्तियों की पहचान कर उनका बैंक/पोस्टऑफिस के माध्यम से खाता खोलकर योग्य पेंशनधारियों की विवरणी अपने जिलो के वेवसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बी0पी0एल0 सूची 2002 में शामिल 65 वर्ष या अधिक उम्र के व्यक्ति को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु अंचल अधिकारी/ प्र0वि0 पदाधिकारी तथा नगर निगम/नगरपालिका के विशेष पदाधिकारी के स्तर से पेंशनधारियों की पहचान की जायेगी ।

ख. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना(आई0जी0एन0डी0पी0एस0)

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से 64 वर्ष के अन्दर ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा सूची 2002 में शामिल विकलांग व्यक्तियो जो **"Persons with Disabilities Act 1995" (PWD Act, 1995) और National Trust for the welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy mental Retardation and multiple Disabilities Act, 1990 (National Trust Act 1990)** में परिभाषित किया गया है । उन्हें भारत सरकार द्वारा 200/–(दो सौ) रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जायगा। राज्य सरकार द्वारा शेष 200/– (दो सौ) रूपया आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का अनुपात 50:50 होगा । पहचान किये गये व्यक्तियों का बैंक/पोस्टऑफिस में खाता खोलकर उनकी सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायगी ।

8. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का ऑन–लाईन इन्दराज

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत वैसे योग्य व्यक्तियों को जिन्हें पेंशन का लाभ नही मिल रहा है वे प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी /अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दें सकें है या ऑन–लाइर्न आवेदन दें सकते है जो **http://nsap.nic.in या http://nsap.gov.in** वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन की जाँच एवं स्वीकृति की कार्रवाई ऑनलाईन की जायेगी। पेंशनधारी जीवित है या नहीं इसकी जाँच प्रत्येक छः माह पर प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा की जायगी तथा ऑन–लाईन इन्दराज किया जायगा ।

अध्याय VI

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय में संधारित अधिलेखों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य जारी है तथा सहायक निदेशक के स्तर पर उपलब्ध है। निदेशालय के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों का दायित्व का विस्तृत विवरण **अध्याय V** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त निदेशालय के नियंत्रणाधीन महिला समाज कल्याण निरीक्षिका तथा लेखा लिपिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन निदेशक की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति की अनुशंसा के उपरान्त किया जाता है।

अध्याय VII

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से संचालित होने वाली सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजना/उपयोजना के कियान्वयन के दौरान प्रभावित होनेवाले लाभुको एवं इसमें उत्पन्न कठिनाईयों का सामाधान के लिए सहायक निदेशको की राज्य स्तरीय बैठक में समीक्षा कर निदान की कारवाई हेतु मार्गनिदेश दिया जाता है।

अध्याय VIII

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्चयन के लिए राज्य स्तरीय बैठक में निदेशक/सचिव की अध्यक्षता में की जाती है जिसमें जिला स्तर पर पदस्थापित सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकरियों को भी शामिल किया जाता है। बीडियों–कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी कार्यकमों की समीक्षा की जाती है।

अध्याय IX

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकरियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका:–

निदेशालय में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थापित है :–

क्र0सं0	पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	पदनाम
1	2	3
1	श्री सुबास चन्द्र सिन्हा	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
2	" लखन उराँव	सहायक निदेशक,
3	" ज्ञानेन्द्र कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
4	" राजनन्दन प्रसाद सिन्हा	सहायक
5	श्रीमती प्रभावती तिर्की	लेखा लिपिक सह–रोकड़पाल
6	" अतुल्य कमान कच्छप	महिला समाज कल्याण निरीक्षिका
7	श्री सुरेन्द्र ठाकुर	समाज आयोजक
8	" अनिल कुमार	दिनचर्या लिपिक
9	" राम नरेश मण्डल	अनुसेवक
10	" चन्द्रनाथ झा	अनुसेवक

अध्याय X

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय में नियोजित कर्मियों का वेतन एवं परिलब्धि : –

क्र0 सं0	पदाधिकारियों / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन	कुल मासिक परिलब्धि
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुबास चन्द्र सिन्हा	निदेशक,	37400-67000	----	अतिरिक्त प्रभार
2	" लखन उराँव	सहायक निदेशक,	15600-39100	33490	47702
3	"ज्ञानेन्द्र कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी	15600-39100	30190	43214
4	"राजनन्दन प्रसाद सिन्हा	सहायक	9300-34800	17360	24838
5	श्रीमती प्रभावती तिर्की	लेखा लिपिक	5200-20200	16280	23368
6	" अतुल्य कमान कच्छप	महिला समाज कल्याण निरीक्षिका	5200-20200	15040	21682 (प्रतिनियुक्ति)
7	श्री सुरेन्द्र ठाकुर	समाज आयोजक	5200-20200	14250	17758
8	" अनिल कुमार	दिनचर्या लिपिक	5200-20200	10030	14869
9	" राम नरेश मण्डल	अनुसेवक	4440-7440	9220	11923
10	" चन्द्रनाथ झा	अनुसेवक	4440-7440	9220	11923

अध्याय XI

योजनाओं का विस्तृत विवरण अध्याय V में दर्शाया गया है

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची का अगामी वित्तीय वर्ष 2009–10 का योजना बजट–प्राक्कलन निम्नांकित रूप से प्रस्तावित है :–

(राशि लाख में)

मुख्य शीर्ष	योजना का प्रकार	प्रस्तावित बजट उपबंध (सी0ओ0बी0टी0)2009–10			
		जनजातीय उपयोजना	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना	योग
1	2	3	4	5	6
(क) 2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	15235.45	5087.73	10695.29	31018.47
"	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	1060.00	300.00	640.00	2000.00
"	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	5880.00	1985.00	4135.00	11900.00
(ख) 2230 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	बंधआ मजदूरों का पूनर्वास	10.00		10.00	
"	आम आदमी बीमा योजना	155.00	63.00	98.00	316.00
"	प्रवासी मजदूरो का सर्वेक्षण	1.00	1.00	1.00	3.00

1. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :–

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमान्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू है । ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिनांक 1.8.2006 के प्रभाव से पेंशन राशि 200.00 रूपये प्रति माह तथा राज्य सरकार द्वारा 200.00 रूपया प्रति माह कुल 400.00 रूपये प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से पेंशन भुगतान किया जा रहा है ।

दिनांक 19.11.2007 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना "इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना" में परिवर्तित हो गई है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के वैसे महिला/पुरूष जिन्होंने 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर ली है, उन्हें 400.00 रूपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत जनजातीय उपयोजना में पेंशनधारियों की संख्या–3,15,826 अन्य क्षेत्रीय उपयोजना में 2,21,710 एवं अनुसूचित जातियों के विशेष अंगीभूत उपयोजना में पेंशनधारियों की संख्या 1,05,467 है। इस प्रकार योजना में पेंशनधारियों की संख्या निम्नवत है :–

1.	जनजातीय उपयोजना	3,15,826
2.	अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत	2,21,710
3.	अनुसूचित जातियों के विशेष अंगीभूत उपयोजना	1,05,467
	कुल	6,43,003

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए जनजातीय उपयोजना में 15235.45 लाख रूपये, अन्य क्षेत्रीय उप योजना में 10695.29 लाख रूपये एवं अनुसूचित जातियों के विशेष अंगीभूत उपयोजना में 5087.73 लाख रूपये बजट प्रस्तावित है । इस योजना में कुल 31018.47 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । प्रस्तावित राशि में 1/2 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की राशि सम्मिलित है।

2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :–

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले 18 वर्ष से 65 वर्ष के अधीन परिवार के मुख्य अर्जनकर्त्ता पुरूष/महिला जिनकी मृत्यु हो जाती है, के परिवार के आश्रित को इस योजनान्तर्गत एक मुश्त 10,000.00 (दस हजार) रूपये भुगतान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस योजनान्तर्गत जनजातीय उपयोजना में 1060.00 लाख रूपये, अन्य क्षेत्रीय उपयोजना में 640.00 लाख रूपये एवं अनुसूचित जातियों के विशेष अंगीभूत योजना में 300.00 लाख रूपये अर्थात कुल 2000.00 लाख रूपये का योजना बजट प्रस्तावित है ।

(ख) मुख्य शीर्ष 2230– श्रम और रोजगार
II. केन्द्र प्रायोजित योजना (पूर्व की योजना)

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास :–

(क) केन्द्र प्रायोजित बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजनान्तर्गत प्रत्येक विमुक्त बंधुआ मजदूर का पुनर्वास कुल रूपये 20,000/–(बीस हजार रूपये) मात्र के व्यय पर किया जाता है, जिसका वहन राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाता है ।

आगामी वित्तीय वर्ष 2009–10 में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश मद में 10.00 लाख रूपये एवं केन्द्रांश मद में 10.00 लाख रूपये, कुल 20.00 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है ।

(ग) मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
III. राज्य योजना

1. आम आदमी बीमा योजना:–

(ख) केन्द्र प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना वर्ष 2008–09 से लागू किया गया है। पहचान किये गये ग्रामीण भूमिहीन परिवार के बीमित व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 75,0000 रूपये तथा सम्पूर्ण अंग–भंग होने पर बीमित व्यक्ति को 75,000.00 रूपये तथा एक आँख या एक अंग के क्षति होने पर 37500.00 रूपये देय होगा । इस योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति के अधिकतम 2 पुत्र/पुत्री जो वर्ग 9 से वर्ग 12 में पढ़ रहे हों, को प्रति बच्चे 100.00 रूपये प्रतिमाह के दर से एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा । इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत 312000 ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा 100.00 रूपये प्रति बीमित व्यक्ति की दर से 312.00 लाख रूपये एक वर्ष के लिए बीमा राशि का भुगतान का प्रावधान किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में जनजातीय उपयोजना अन्तर्गत 153000 व्यक्तियों के लिए प्रीमियम के रूप में 153.00 लाख रूपये, अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत 97000 व्यक्तियों के बीमा हेतु 97.00 लाख रूपये एवं अनुसूचित जाति के विशेष अंगीभूत उपयोजना अन्तर्गत 62000 व्यक्तियों के बीमा हेतु 62.00 लाख रूपये अर्थात कुल 312.00 लाख रूपये का योजना बजट प्रस्तावित है । प्रशासनिक व्यय मद में 4.00

लाख रूपये, बीमा राशि 312.00 लाख रूपये, कुल 316.00 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है ।

1. राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (नई योजना) :–

इस योजना में राज्य के विधवा, विकलांग, विमुक्त बंधुआ मजदूर (उम्र सीमा निर्धारित नही) तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध तथा असहाय व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5000/– एवं शहरी क्षेत्र के लिए 5500/– से अधिक नही हो को रूपये 400.00 प्रतिमाह की दर से प्रति पेंशनधारी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत पेंशनधारियों की संख्या 247164 है ।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में पेंशन भुगतान हेतु सहायता अनुदान मद में 11900.00 लाख रूपये एवं प्रशासनिक व्यय मद में 100.00 लाख रूपया कुल 12000.00 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है ।

(घ) मुख्य शीर्ष 2230–श्रम और कल्याण

2. प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण :–

राज्य के मजदूर, काम के तलाश में अन्य राज्यों में समय–समय पर देश के अन्य राज्यों में जाते हैं । उन मजदूरों की स्थिति के आकलन हेतु प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण के लिए इस योजना को लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए जनजातीय उपयोजना के तहत 1.00 लाख रूपये तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत 1.00 लाख रूपये एवं अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के तहत 1.00 लाख रूपये अर्थात कुल रूपये 3.00 लाख का बजट प्रस्तावित है ।

(ख) मुख्य शीर्ष 2230– श्रम और रोजगार

II. केन्द्र प्रायोजित योजना (पूर्व की योजना)

1. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास :–

(क) केन्द्र प्रायोजित बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजनान्तर्गत प्रत्येक विमुक्त बंधुआ मजदूर का पुनर्वास कुल रूपये 20,000/–(बीस हजार रूपये) मात्र के व्यय पर किया जाता है, जिसका वहन राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाता है ।

आगामी वित्तीय वर्ष 2009–10 में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश मद में 10.00 लाख रूपये एवं केन्द्रांश मद में 10.00 लाख रूपये, कुल 20.00 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है ।

2. आम आदमी बीमा योजनाः–

(ख) केन्द्र प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना वर्ष 2008–09 से लागू किया गया है। पहचान किये गये ग्रामीण भूमिहीन परिवार के बीमित व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 75,0000 रूपये तथा सम्पूर्ण अंग–भंग होने पर बीमित व्यक्ति को 75,000.00 रूपये तथा एक आँख या एक अंग के क्षति होने पर 37500.00 रूपये देय होगा । इस योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति के अधिकतम 2 पुत्र/पुत्री जो वर्ग 9 से वर्ग 12 में पढ़ रहे हों, को प्रति बच्चे 100.00 रूपये प्रतिमाह के दर से एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा । इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत 312000 ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा 100.00 रूपये प्रति बीमित व्यक्ति की दर से 312.00 लाख रूपये एक वर्ष के लिए बीमा राशि का भुगतान का प्रावधान किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में जनजातीय उपयोजना अन्तर्गत 153000 व्यक्तियों के लिए प्रीमियम के रूप में 153.00 लाख रूपये, अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत 97000 व्यक्तियों के बीमा हेतु 97.00 लाख रूपये एवं अनुसूचित जाति के विशेष अंगीभूत उपयोजना अन्तर्गत 62000 व्यक्तियों के बीमा हेतु 62.00 लाख रूपये अर्थात कुल 312.00 लाख रूपये का योजना बजट प्रस्तावित है । प्रशासनिक व्यय मद में 4.00 लाख रूपये, बीमा राशि 312.00 लाख रूपये, कुल 316.00 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है ।

(ग) मुख्य शीर्ष 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
III. राज्य योजना

2. राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (नई योजना) :—

इस योजना में राज्य के विधवा, विकलांग, विमुक्त बंधुआ मजदूर (उम्र सीमा निर्धारित नही) तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध तथा असहाय व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5000/— एवं शहरी क्षेत्र के लिए 5500/— से अधिक नही हो को रूपये 400.00 प्रतिमाह की दर से प्रति पेंशनधारी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत पेंशनधारियों की संख्या 247164 है ।

वित्तीय वर्ष 2009—10 में पेंशन भुगतान हेतु सहायता अनुदान मद में 11900.00 लाख रूपये एवं प्रशासनिक व्यय मद में 100.00 लाख रूपया कुल 12000.00 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है ।

(घ) मुख्य शीर्ष 2230—श्रम और कल्याण
2. प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण :—

राज्य के मजदूर, काम के तलाश में अन्य राज्यों में समय—समय पर देश के अन्य राज्यों में जाते हैं । उन मजदूरों की स्थिति के आकलन हेतु प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण के लिए इस योजना को लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009—10 के लिए जनजातीय उपयोजना के तहत 1.00 लाख रूपये तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत 1.00 लाख रूपये एवं अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के तहत 1.00 लाख रूपये अर्थात कुल रूपये 3.00 लाख का बजट प्रस्तावित है ।

अध्याय XII

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन उपायुक्त, अनुमण्डल पदाधिकरी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी के माध्यम से सम्पादित किया जाता है। शहरी क्षेत्र में विशेष कार्य पदाधिकारी से सहयोग प्राप्त किया जाता है। ग्राम—सभा के माध्यम से बी0पी0एल0 पेंशनधारियों तथा लाभुकों के चयन एवं पेंशन वितरण कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त किया जाता है।

अध्याय XIII

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (I) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विभागीय पत्रों मार्ग निदेशों एवं आवंटन संबंधी पत्रों का अभिलेख कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है तथा इसे नेटवर्क पर डालने की प्रकिया जारी है।

अध्याय XIV

निदेशालय में विभागीय मार्ग निदेशों, अधिनियमो तथा महत्वपूर्ण पत्रों का संग्रह किया गया है तथा कम्प्यूटरीकरण कार्य जारी है।

अध्याय XV

निदेशालय में वांछित अभिलेख संधारित है तथा कार्यालय अवधि में मार्गनिदेश कम्प्यूटर पर तथा कार्यालय में उपलब्ध है।

अध्याय XVI

जनसूचना पदाधिकारियों नाम, पदनाम तथा विवरण :-

1. श्री सुबास चन्द्र सिन्हा, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा- प्रथम अपीलीय पदाधिकारी
2. श्री लखन उराँव, सहायक निदेशक- सामाजिक सुरक्षा, (मुख्यालय) सह जन सूचना पदाधिकारी

   दूरभाष सं0- 0651-2491341/फैक्स सं0- 0651-2491341
3. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी- सहायक जन सूचना पदाधिकारी

कार्यालय का नाम- सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, नेपाल हाउस, डोरण्डा राँची।

अध्याय XVII

नियमानुसार प्रति वर्ष इस सूचना को अध्यतन कर प्रकाशन ।

ज्ञापांक 6/सा0सु0सू0आ0 323/08श्र0नि0
झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(सामाजिक सुरक्षा)

कार्यालय आदेश संख्या - 05 राँची, दिनांक 27.3.2009

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 3047 दिनांक 6.9.2005 के प्रसंग में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–5 के तहत श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची के मुख्यालय कार्यालय के लिए अंकित पदाधिकारियों की प्रथम अपीलीय प्राधिकार एवं जन सूचना पदाधिकारी एवं सहायक जन सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय का मुख्यालय

1. प्रथम अपीलीय प्राधिकार–	श्री सुबास चन्द्र सिन्हा, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।
2. जन–सूचना पदाधिकार–	श्री लखन उराँव, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशालय, झारखण्ड, राँची।
3. सहायक जन सूचना पदाधिकारी	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची ।

27/3/09

(सुबास चन्द्र सिन्हा)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक 6/सा0सु0सू0आ0 323/08श्र0नि0 167 राँची, दिनांक 27.3.2009

प्रतिलिपिः–संबंधित कर्मचारी एवं पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष)–1/ राज्य सूचना आयोग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवयश्क कायार्थ प्रेषित ।

27/3/09

(सुबास चन्द्र सिन्हा)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची ।

(98)

संख्या–6/सा0सु0बी0एल0–320/08 – 122

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा)

प्रेषक,

लखन उराँव,
सहायक निदेशक–सह–
जन सूचना पदाधिकारी,
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य सूचना आयोग
अभियत्रंण छात्रावास संख्या–2
एच0ई0सी0परिसर धुर्वा, राँची।

राँची, दिनांक 6/3/2009

विषय :– **सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत् आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु अनुश्रवण बैठक के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक1747 दिनांक 25.02.2009 एवं अवर सचिव–सह– जन सूचना पदाधिकारी, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 252 दिनांक 05.03.2009 के क्रम में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत् वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्यार्थ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनुलग्नक– यथोपरि

विश्वासभाजन

6/3/09

(लखन उराँव)
सहायक निदेशक–सह–
जन सूचना पदाधिकारी,
सामाजिक सुरक्षा,झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–6/सा0सु0बी0एल0–320/08 श्र0नि0 –122 राँची,दिनांक– 6.3.09

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह– जन सूचना पदाधिकारी, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 252 दिनांक 05.03.2009 के क्रम में अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/3/09

(लखन उराँव)
सहायक निदेशक–सह–
जन सूचना पदाधिकारी,
सामाजिक सुरक्षा,झारखण्ड, राँची।

197

Annual Report under section 25 to Righ to information Act 2005.

(a)	The number of requests made to each public authority;	Nil
(b)	The number of decisions where applicants were not entitled to access to the documents pursuant to the requests, the provisions of this Act under which these decisions were made and the number of times such provisions were invoked;	Nil
(c)	The number of appeals referred to the Central Information Commission or State information Commission, as the case may be, for review, the nature of appeals and the outcome of the appeals;	Nil
(d)	particulars of any disciplinary action taken against any officer in respect of the administration of this Act;	Nil
(e)	The amount of charges collected by each public authority under this Act;	Nil
(f)	Any fact which indicate an effort by the public authories to administration and implement the spirit and intention of this Act;	Nil
(g)	Recommendations for reform, including recommendations in respect of the particular public authorities, for the development, improvement, modernisation, reform or amendment to this Act or other legislation or common law or any other matter relevant for operationalising the right to access information.	Nil

6/3/09

Assistant director
Cum
Public Information officer
Social Security, Jharkhand, Ranchi

सूचना का अधिकार 2005 के तहत वार्षिक प्रतिवेदन
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक सुरक्षा झारखण्ड, राँची।

क्र0 स0	कार्यालय/निकाय सरकारी संस्था का नाम	सूचना हेतु कुल प्राप्त आवेदन 31.03.2009	आवेदन के साथ प्राप्त शुल्क की कुल राशि धारा 6 (1)	सूचना देने के लिए अतिरिक्त शुष्क की राशि धारा 7 (1)	अभिलेख के निरीक्षण हेतु प्राप्त शुल्क	अन्य प्राप्त राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सामाजिक सुरक्षा झारखण्ड, राँची	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

6/3/09

लखन उराँव
सहायक निदेशक-सह-
जन सूचना पदाधिकारी
सामाजिक सुरक्षा,
झारखण्ड राँची।